अध्यक्ष, चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर)।

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

क्रमांक :–स्था. / 2014 दिनांक :– 02.08.2014

बालोतरा न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या स्था / 2014 / 257 दिनांक 15.07.2014 में माननीय राज0उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)169/14/2957 Date 02-08-2014 के निर्देशानुसार **अभ्यर्थी की आयु** के संबंध में निम्नानुसार शुद्धि पत्र (Corrigendum) जारी किया जा रहा है:–

आयु:–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु:–

1. असाधारण मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी ;

2. महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले मे ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ;

3. भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों और रिजर्विष्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के लिये जिनकों रिजर्व में अंतरित कर दिया गया था, ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 50 वर्ष होगी ;

4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों में मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा

5. दिनांक 01.03.1963 को या उसके पश्चात् बर्मा, श्रीलंका और कीनिया से तथा पूर्वी अफ्रीका के देश टांगानिका, युगांडा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिये ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष की और छूट दी जायेगी ;

6. ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

7. अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले मे ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी बशर्त की वह दोष सिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

8. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम) के अधीन परिलक्षित और निर्मुक्त किसी परिवार के सदस्य के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी;

9. विधवाओं और विवाह विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण:— विधवा को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विछिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

10. अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी;

M Suthar

अध्यक्ष,
चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाड़मेर)

क्रमांक :—स्था. / 2014 / 396-452

दिनांक :— 2/8/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा
4. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश............................... को प्रेषित कर निवेदन हैं कि आपके कार्यालय के सूचा पट्ट पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा करने का श्रम करावें।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
6. श्री जिला नियोजन अधिकारी, बाड़मेर
7. श्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर
8. बालोतरा न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय..
9. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावें।
10. सूचना पट्ट न्यायालय हाजा
11. सिविल न्यायाधीश (क.ख.), एवं न्यायिक मजि., सिवाना / चौहटन के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. कार्यालय प्रति

M Suthar

अध्यक्ष,
चयन समिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती बालोतरा न्यायक्षेत्र
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाड़मेर)